AGENCY Ss. 182 - 238

अभिकरण की प्रति स्थापना

Modes of Creation of Agency.

Agency का Creation कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे Expressed Agency, Implied Agency, Necessity Agency, By Retification Agency etc. विभिन्न तरीके हैं जिनसे Agency को Creat किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की Agency का Creation उसकी Authority के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसा कि आप जानते हैं कि Agency दो लोगो के बीच एक सम्बन्ध है और यह सम्बन्ध तभी उत्पन्न होता जब एक Person (Principal) अपने कार्यों को करने के लिए दूसरे Person (Agent) को Authorised करता है कि वह उसके लिए कार्य करे। तब Principal जिस प्रकार से, चाहे Express तरह से या Implied तरह से या अन्य किसी तरह से Authorised करता है तो उसी तरीके की Agency का Creation हो जाता है। अर्थात Agent को Principal द्वारा Authorised करने का Type ही Agency Creation का Type (Modes) होगा।

निम्न लिखित प्रकार से Agency का Creation किया जा सकता है।

1. Expressed Agency.
2. Implied Agency
3. Operation of Law
4. Emergency / Necessity
5. Retification

or

Agent's Authority may be Created by —

(i) Express Agreement Ss. 186 & 187

(ii) Implied Agreement S. 187

(iii) Operation of law

(iv) Emergency / Necessity S. 189

(v) Ratification Sec. 196-200

1. Expressed Agency S. 186 & 187 -

Express authority — An authority is said to be express when it is given by words, Spoken or written -

इस प्रकार की Agency में Principal, Agent को शब्दो द्वारा बोलकर या लिखित में जब authority देता है। तो इसे Expressly Authority कहते हैं और Express Authority के माध्यम से Created Agency को Expressed Agency कहते हैं।

साधारण शब्दो में कह सकते हैं जब Both Parties जिसमें एक Principal है और दूसरा उसका Agent है आपस में बैठकर एक Agreement करते हैं कि Agent, Principal के Behalf पर कुछ कार्य करेगा तब ऐसे हम अभिव्यक्त अभिकरण कहते हैं।

Ex 1. Mr. 'A' का एक House Dehradun में है जबकि Mr. 'A' Banglor में रहते हैं Mr. A, Mr. B को जोकि Dehradun में ही रहता है को अपने House की देख-भाल के लिए Caretaker के रूप में नियुक्त कर देता है। और इस हेतु एक Power of Attorney बनाकर Mr. 'B' को देदेता है। तो यहाँ Mr. 'A' जोकि Principal है & Mr. 'B'

P.T.O.

जो कि Agent है के बीच Expressed Agency का Creation हो जाता है, क्योंकि यहाँ Principal 'A' द्वारा written Document (Power of Attorny) के द्वारा Express authority Agent 'B' को दी गई है कि वह उसके House का Care taker बनकर सम्भाले।

Case I. Poll. v. Leesk, 1860

Case II. State of Karnatak v. M. Muniraju, AIR 2002 Kant. 287

2. Implied Agency:–

· Implied Authority:– An authority is said to implied when it is to be inferred from the circumstances of case; and things spoken or written; or the ordinary course of dealing, may be accounted circumstances of the case -

(a) Inferred from Circumstances – Situation और परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता रहता है कि यह Person, उस Person के लिए कार्य कर रहा है।

(b) Things spoken or written – आपसी कार्य प्रणाली ऐसी है; या आपस में लेन-देन, हिसाब-किताब की बात करते हैं एक-दूसरे को राय मशवरा देते हैं जिससे लगता है कि इनमें से एक व्यक्ति Principal है और एक व्यक्ति Agent है।

(c) In Ordinary Course of dealing – जैसे Ordinary Course of Business में होता है वैसे ही Dealing इनके बीच होती है जैसे - एक व्यक्ति कुछ goods खरीदता है और Payment दूसरे व्यक्ति के Account से किया जाता है इससे ऐसा लगता है कि उन दोनों व्यक्तियों में Principal और Agent का सम्बन्ध है।

अतः Agency का गठन उस प्रकार से भी होता है जिसमें न तो Principal ने Agent को अपने कार्य हेतु नियुक्त किया होता है और नही Agent अपने को उसके कार्य के अधीन मानता है लेकिन फिर भी परिस्थितियों या Situation से स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कार्य कर रहा है जबकि उन्होंने आपस में एक-दूसरे से Expressly कुछ नहीं बोला होता है अर्थात उनके Conduct से लग रहा है कि वे एक-दूसरे के लिए Principal और Agent है तब उसे Implied Agency कहते हैं। और Principal द्वारा Agent को दी गई Authority, Implied authority कहलाती है

Ex1- Situation –

'A' का एक Market दार्जिलिंग में है जबकि 'A' कलकत्ता में रहता है। उसका दोस्त 'B' जो कि दार्जिलिंग में रहता है Market के किरायदारों से किराया वसूल करता है यहाँ परिस्थितियों से लग रहा है कि 'B', 'A' का Agent है और 'A' उसका Principal है यहाँ Implied Agency का Creation हुआ है

Ex2. Ordinary Course of dealing —

'A' Mumbai में रहता है जिसकी Delhi में एक Shop है 'B' जो कि Delhi में रहता है उस Shop के लिए 'C' से कुछ goods खरीदता है और उसका Payment 'A' के Account से करता है जिसकी 'A' को Knowledge भी है। यहाँ ordinary Course of dealing से स्पष्ट है कि 'A' यहाँ Principal है और 'B' उसका Agent है और यहाँ Implied Agency का Creation हो गया है।

3. **By Operation of Law** – कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति द्वारा अपने कार्य को करने के लिए स्वयं किसी अन्य व्यक्ति को Authorised न कर के विधि के द्वारा उस अन्य व्यक्ति को Authority दी जाती है कि वह उस कार्य को करे तब वह व्यक्ति जिसे विधि द्वारा ऐसा करने के लिए Authorised किया गया है उस व्यक्ति का Agent हो जाता है और वह व्यक्ति उसका Principal होता है

जैसे – जब कोई कम्पनी दिवालिया हो जाती है तब विधि द्वारा Insolvency and Bankruptcy Code के अनुसार एक Resolution of Profession को Hire किया जाता है जो उस Company का Settlement करता है और Creditors को उनके (रुपये) वापस देता है। तो यहाँ Resolution of Profession जिसे Company मालिक ने Authorised नहीं किया है बल्कि Law द्वारा Authority दी गई है एक Agent है और Company मालिक Principal है और इसे By operation of Law-Creat Agency कहते हैं।

4. **Agency by Necesity or in Case of Emergency** – S.189

Principal द्वारा Agents को दी जाने वाली Authority को हम Normal Authority और Emergency Authority में बाट सकते हैं जब Principal by Agreement या बोलकर Agent को किसी कार्य को करने के लिए जितनी Authority देता है उसे Normal Authority कहते है। लेकिन कई बार – Emergency में Agent को ऐसा कार्य करना पड़ता है जिसके लिए Principal ने उसे authorised नहीं किया होता है लेकिन अपने मालिक को loss से बचाने के लिए उसको an authorised कार्य भी करना पड़ता है Emergency में यहाँ Agent's authority Extant हो जाती है। इसे Agency by Necessity कहते हैं।

Agent's Authority in an Emergency S. 189 -

आपात में अभिकर्ता अपने मालिक को होने वाले Loss से Protect करने के लिए वे सारे कार्य कर सकता है जो किसी उसके मालिक को Loss न हो या कम से कम Loss हो। ऐसी आपातपरिस्थिति में अभिकर्ता का प्राधिकार बढ़ जाता है लेकिन अभिकर्ता के प्राधिकार में यह वृद्धि शर्तों के अधीन है जिनका सन्तुष्ट होना आवश्यक है अन्यथा अभिकर्ता बढ़े प्राधिकार का प्रयोग करने पर स्वयं दायित्वाधीन होगा।

In an Emergency, an A can do all such acts for the purpose of protecting his principal from Loss as would be done by a person of ordinary prudence.

Condition must by satisfied -

(i) Agent was not in a position to Communicate with his Principal.
(ii) There should have been actual and definite Commercial Necessity.
(iii) The agent should have acted bonafied (ईमानदारी से)
(iv) Only for the befinit of the Principal
(v) The Agent should have adopted the most reasonable and Practicable Course under the circumstances and too.

Ex-1. 'A' जोकि Principal है Delhi में रहता है उसके पास Goods on Stock है। Agent 'B' जो कि Delhi में ही रहता है को Stock को Tamilnadu में Sell करने के लिए Principal द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। जब Agent Stock को Tamilnadu में Sell करने के लिए ले जाने की तैयारी करता है तो पता चला कि Stock वहाँ तक पहुँचने में Spoil हो जायेगा अतः यहाँ Emergency Creat हो गई है इसलिए Agent Stock को Delhi में ही Sell कर सकता है।

5. Agency Creat by Ratification Ss. 196-200-

अनुसमर्थन (Ratification) का अर्थ है जो पूर्व में किया जा चुका है उसका समर्थन कर देना। अर्थात पहले जो Act किया गया है उसको फिर से Approve (अनुमोदन) करना ही Ratify करना कहलाता है। कई बार Agent उस कार्य को भी कर देता है जिसके लिए उसे प्राधिकृत नहीं किया गया है। और नहीं Principal की Knowledge में होता है। अब यदि Agent द्वारा without Principal Knowledge, Unauthorised कार्य किया जाता है तो यहाँ Principal को यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो Agent के द्वारा किये गये Unauthorised कार्य को सहमति प्रदान कर दे या इससे असहमति प्रकट कर दे। यदि Principal उस कार्य के प्रति अपनी अनुमति देदेता है तब Principal उस कार्य के प्रति Liable हो जायेगा जो Agent ने उसकी Knowledge के बगैर व Unauthorised होते हुए किया था। लेकिन यदि Principal उस कार्य के लिए अपनी अनुमति नहीं देता है तो Third

Party के प्रति Principal liable नहीं होगा।

S. 196 - Rights of Person as to acts done for him without his authority effect of ratification -

Where acts are done by one person on behalf of another, but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or to disown (reject) such act. If he ritifies them, the same effects will Follow as it they had been performed by his authority.

S. 197. Ratification means approving act and it can - expressed or Implied as well -

Retification, Expressly या Impliedly हो सकता है Agent द्वारा Principal के लिए किये गये Unauthorised कार्य को Principal यदि बोलकर या लिखित में अनुमोदित करता है तो उसे Expressed Ritification कहेंगे और यदि Principal अपने आचरण से ऐसा प्रदर्शित करता है कि वह उस कार्य से सहमत है तो उसे Implied Retification कहेंगे।

इसको हम Examples के माध्यम से समझ सकते हैं,

Ex1- 'A' के कार्यों के 'B' द्वारा Agent है 'B' कुछ goods 'A' के Behalf पर Purchase करता है जिसकी Authority 'A' ने नहीं दी थी और न ही 'A' की Knowledge में था। बाद में 'A' उन goods को 'C' Third party को Sell कर देता है यहाँ 'A' द्वारा 'B' के कार्य को Impliedly Retification कर लिया गया है।

Ex2 – 'A', 'B' की कुछ Money 'B' की Authority और Knowledge के बिना 'C' को Interest पर उधार देता है। कुछ दिन 'C' द्वारा 'B' को Interest देने पर वह उसे स्वीकार कर लेता है। यहाँ 'A' Agent के कार्य को Principal 'B' द्वारा Ratify कर दिया गया है।

Essentials of Ratification – Ss. 198-200. –

(i) For the whole Transaction (S. 199) –
Ratification full Amount का होना चाहिए इसे Partialy नहीं होना चाहिए अन्यथा मान्य नहीं होगा।

(ii) Act done for the other Person –

(iii) Acts with in Principal's Power –
कार्य यदि Principal की Power के बाहर है तो तब Principal Ratify नहीं कर पायेगा।

(iv) By the Principal only –
कार्य केवल Principal के लिए ही किया गया हो अन्य के लिए नहीं अर्थात जिसके लिए कार्य किया जायेगा वही Ratify कर पायेगा।

(v) No damages to the third party – (S. 200) –
Third party को कार्य से हानि नहीं होनी चाहिए। यदि कार्य क्षतिकारी है तब Principal चाहकर भी Ratify नहीं कर पायेगा।

(vi) Full Knowledge (S. 198) –
Principal को Act की Full Knowledge होनी चाहिए अन्यथा Ratification नहीं हो पायेगा।